

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेमक,

कुलसचिव,

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/03-(तीन)/2017/ 3267

दिनांक :

07-11-17

सेवा में,

प्रबन्धक,

मूलचन्द ग्रामीण महिला महाविद्यालय
नरहन् खास, आजमगढ़।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-09.08.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 30.11.2017 के क्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोजता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय
1	डी० आलोक कुमार त्रिपाठी	श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी	01.01.1987	एमएएच, पीएचडी	प्राचार्य

अतः उपरोक्त की सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्रवक्ता के लिए अंशदायी सदस्यनिधि (ग्रामपंचायती प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण-पत्र/पीएचडी प्रमाण-पत्र सत्यापन के अधीन तथा कक्षा संचालन के अन्तर्गत किया जाता है।

भवदीय,

कुलसचिव

प्राचार्य

मूलचन्द ग्रामीण महिला महाविद्यालय
नरहन् खास-आजमगढ़

मूलचन्द ग्रामीण महिला महाविद्यालय
नरहन् खास-आजमगढ़

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक. प्र.वि.वि./सामुदायिक/01-(तीन)/2016/ 10/23

दिनांक :

2-10-16

सेवा में,

प्रबन्धक,

फूलचन्द ग्रामीण महिला महाविद्यालय,

नरहन्खास, आजमगढ़।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत भूगोल विषय में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-09.08.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपशान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश शासनादेश दिनांक-08 मई 2000, 31 दिसम्बर, 2010 व 25 नवम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाँच वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नोट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अर्जन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोजित अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	डॉ० अरुण दादव	श्री जयराम दादव	03.08.1983	एमएच पीएचडी-2016	भूगोल

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। भौतिक सत्यापन तीन माह के अन्दर करा लिया जाय एवं कक्षा संचालन 10 अक्टूबर, 2016 तक के अन्तर्गत।

भवदीय,

कुलसचिव

प्राचार्य

फूलचन्द ग्रामीण महिला महाविद्यालय
नरहन्खास-आजमगढ़

(10) प्रबन्धक
फूलचन्द ग्रामीण महिला महाविद्यालय
नरहन्खास-आजमगढ़

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पूवि/सम्बद्धता/01-(तीन)/2019/ 8310
दिनांक: 20-11-19

सेवा में,

प्रबन्धक

फूलचन्द्र ग्रामीण महिला महाविद्यालय,
नरहन खास, आजमगढ़।

विषय:—स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महाविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ताओं के संविदा विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-26.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक-04.10.2019 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक-11 जनवरी, 2008 एवं 23 अगस्त 2011 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत आप द्वारा प्राप्त कराये गये अद्यतन अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में अनुमोदित/कार्यरत महाविद्यालय में कार्यरत प्रवक्ताओं का संविदा-विस्तारण उनके नाम के सम्मुख तिथि से माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में 05 वर्ष तक के लिए संविदा विस्तारण किये जाने की प्रविष्टि विश्वविद्यालय अभिलेखों में कर ली गयी है। तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण-पत्र/पीओचडी प्रमाण-पत्र सत्यापन के अधीन एवं कक्षासंचालन के अन्तर्गत किया जाता है।

क्रमांक	प्रवक्ता का नाम	पिता/पति का नाम	विभागाध्यक्ष/ प्रवक्ता	जन्म तिथि	संविदा विस्तारण
1.	डॉ० इन्दुशेखर गुप्ता	श्री शिवनाथ प्रसाद गुप्ता	हिन्दी	11.08.1967	13.09.2018 से 05 वर्ष
2.	डॉ० मीरा मिश्रा	श्री जगदम्बा मिश्रा	संस्कृत	01.07.1982	13.09.2018 से 05 वर्ष
3.	डॉ० अरविन्द कुमार सिंह	विन्ध्यवासिनी सिंह	समाजशास्त्र	05.12.1971	13.09.2018 से 05 वर्ष
4.	डॉ० नन्दलाल पाठक	श्री इकबाल पाठक	शिक्षाशास्त्र	28.02.1971	13.09.2018 से 05 वर्ष
5.	डॉ० सत्येन्द्र कुमार चौबे	श्री सहजानन्द चौबे	संगीत	01.04.1971	13.09.2018 से 05 वर्ष

भवदीय

20/11/19
कुलसचिव

प्रार्थी
फूलचन्द्र ग्रामीण महिला महाविद्यालय
नरहन खास-आजमगढ़

प्रबन्धक
फूलचन्द्र ग्रामीण महिला महाविद्यालय
नरहन खास-आजमगढ़